न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास एम.आर. बागडिया, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 01/03/कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट

हनुमान प्रसाद पुत्र महादेव जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थी

ब ना म

श्री जगदीश प्रसाद चौधरी नायब तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थी

अवमानना याचिका अन्तर्गत कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट अधिनियम

निर्णय दिनांक— 07.02.2014

1. प्रार्थी की ओर से आवेदन पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि जिसके पुराने खसरानं. 66/1 रकबा 14.50 है. ग्राम पचार की तन में अवस्थित है। इस काश्त भूमि के नये भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान इसको विखण्डित करते हुए नया खसरा नं. 284/2845 रकबा 0.17 है0 कायम किये गये। खसरा नं. 1022/2952 को प्रार्थी के खाते में चढा दी गई तथा प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 66/1 में से 0.17 है. का टुकड़ा अलग कर जिसके खसरा नं. 284/2845 कायम कर इस भूमि को मदनलाल, गणेश, धुकल पुत्रगण झूथाराम, भगवाना पुत्र पीथा की खातेदारी में दिखा दिया गया। भूप्रबन्ध विभाग की इस गलती को दुरूस्ती करवाने के लिए प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सीकर के यहां आवेदन प्रस्तुत किया। इस आवेदन पर विधिवत जांच करवाकर व सम्बन्धित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 10.12.99 को आदेश पारित कर खसरा नं. 284/2845 की भूमि को वापस प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश की कियान्विति के लिए तहसीलदार, दांतारामगढ को आदेशित किया गया। तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 10.12.99 के अनुपालना के लिए पटवारी हल्का को ना.करण भरकर प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिनांक 14.03.2002 को जारी किया गया। इस आदो की अनुपालना में पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा प्रार्थी के नाम से ना.करण भरकर स्वीकृति हेतु नायब तहसीलदार, दांतारामगढ अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया लेकिन नायब तहसीलदार, दांतारामगढ अप्रार्थी द्वारा जान बुझकर माननीय न्यायालय के आदेश को जानते एवं मानते हुए बिना आपति व उजरदारी खसरा नं. 284/2845 की भूमि का ना.करण बोदुराम व सांवलराम पुत्रगण झूंथाराम के नाम स्वीकृत करने के

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

आदेश दिनांक 02.09.02 को पारित कर दिये गये। अप्रार्थी का यह कृत्य माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.99 की स्पष्ट अवमानना है। साथ ही उच्च अधिकारियों के आदेश की अनुपालना न करने की एक गंभीर अनुशासन हीन पूर्ण कृत्य है जिसके लिए अप्रार्थी को न्यायालय के आदेश की अनुपालना न करने के जुर्म में विधिवत कार्यवाही करके दण्डित किया जाना उचित व न्यायसंगत है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को न्यायालय के आदेश की अवमानना के अपराध में दण्डित किया जाना प्रार्थनीय है।

2. आवेदन कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी ने लिखित बहस पेश की गई। वकील प्रार्थी ने लिखित बहस में आवेदन के बिन्दु सं. 1 व 2 तथ्यों को दोहराते हुए अतिरिक्त कथन किया है कि उक्त गलत भरे ना.करण को जो कि पत्रावली में प्रदर्श–5 है तथा ना0करण की पुश्त पर नायब तहसीलदार, दांतारामगढ का निर्णय प्रदर्श–6 है, को न्यायालय जिला कलेक्टर, सीकर के यहां प्रार्थी द्वारा अपील सं. 87/2002 द्वारा चुनौती दी गयी है जिसको न्यायालय जिला कलेक्टर, सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 20.07.2006 द्वारा अपील स्वीकार कर अवैध ना.करण सं. 520 को खारिज कर दिया। जिला कलेक्टर सीकर का निर्णय प्रदर्श–7 है इससे भी स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार ने माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 10.12.1999 की अवमानना की है। जिला कलेक्टर ने अपने आदेश प्रदर्श–7 में तहसीलदार, दांतारामगढ को आदेशि किया है कि उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 10.12.1999 के परिप्रेक्ष्य में सुना जावें, तो तहसीलदार दांतारामगढ ने भी पूर्णतया सुनवायी कर ना.करण सं. 520 को गलत व अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए खारिज कर दिया है। प्रार्थी ने कन्टेम्पट के समर्थन में अपने बयान दिये है तथा इसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रदर्श–1 (दिनांक 21.03.97) आर्डर शीट प्रदर्श–2, तहसीलदार रिपोर्ट प्रदर्श–3, हल्का पटवारी रिपोर्ट प्रदर्श–4, ना.करण सं. 520 प्रदर्श–5, पुश्त पर निर्णय प्रदर्श–6 तथा जिला कलेक्टर का निर्णय प्रदर्श–7 प्रस्तुत किया है। उपरोक्त सभी साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार अप्रार्थी ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एस.डी.ओ. दांतारामगढ के आदेश की अवमानना की है। अतः अप्रार्थी को न्यायालय के आदेश की अवमानना के अपराध में दण्डित किये जाने की कृपा करें।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी हनुमान प्रसाद द्वारा ग्राम पचार में इन्द्राज दुरूस्ती कराने बाबत आवेदन किस अधिकारी के समक्ष किस दिनांक को पेश किया गया है, अंकन नहीं है जिसकी पुश्त पर तहसीलदार(भू.अ.) दांतारामगढ द्वारा पत्रांक 698 दिनांक 21.03.97 को जांच कर रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया गया। पटवारी हल्का, पचार द्वारा दिनांक

03.7.97 के द्वारा विस्तृत रिपोर्ट तहसीलदार,दांतारामगढ को प्रस्तुत की गई एवं तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा दुरूस्ती हेतु उपखण्ड अधिकारी, सीकर को निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, सीकर द्वारा दुरूस्ती की कार्यवाही हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को लिखा गया जिस पर नायब तहसीलदार, दांतारामगढ ने कार्यवाही कर यह आदेश दिये कि "ना.करण पेश हुआ। मुताबिक डिक्री श्रीमान् एस.डी.ओ. सा. सीकर द्वारा ग्राम पचार के ख.नं. 1022/2952 रकबा 0.17 है. गै.मु. रास्ता जो खातेदार के खाते में दर्ज है वो गै.मु. रास्ता राजस्थान सरकार दर्ज करने तथा ख.नं. 284/2845 रकबा 0.17 है. बारानी तृतीय को हणमान पुत्र महादेव जाति ब्राह्मण के नाम करने की डिक्री जारी की गई है, परन्तु जब दावा पेश किया गया तब ख.नं. 1022/2952 रकबा 0.17 है. गै.मु. रास्ते की खातेदारी हणमान के नाम थी उसके बदले में ख.न. 284/2845 रकबा 0.17 है0 बारानी भूमि देने का दावा था जो डिक्री हो गया। हणमान ने ख.नं. 1022/2952 रकबा 0.17 है. गै.मु. रासते का बेचान मालीराम वगैरह को कर दिया अब उक्त ख.नं. पर हणमान का अधिकार ही नहीं रहा तो उसके बदले भूमि जिसके खाते में से गई है उसको ही मिलनी चाहिये। भूमि मालीराम वगैरह के हिस्से में से रास्ते में जा रही है इस कारण ख.नं. 284/2845 रकबा 0.17 है0 भूमि भी मालीराम वगैरह को मिलनी चाहिये तथा उक्त भूमि पर खरीददार के बाद से कब्जा भी मालीराम वगैरह का ही चला आ रहा है। अतः ना.करण हणमान पुत्र महादेव जाति ब्राह्मण निवासी पचार के बजाय मालीराम, सागरमल, प्रहलादसिंह, बजरंगलाल, बोदुराम, सांवरमल पुत्रगण झूंथाराम जाति जाट सा. बुच्यासी के नाम स्वीकार किया जाता है।" इस प्रकार नायब तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा रिकार्ड के अनुसार ना.करण स्वीकार किया गया है। उक्त ना.करण के असंतुष्ट हो तो सक्षम न्यायालय में अपील की जानी चाहिए। प्रार्थी हणमान द्वारा उक्त ना.करण दिनांक 02.09.02 की अपील न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर के यहां पेश की गई थी। न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर के यहां से निर्णय दिनांक 20.7.2006 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.02 बाबत ना. करण सं. 520 ग्राम पचार खारिज किया गया है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि पक्षकारान को विधिवत रूप से सुनवाई व सबूत साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर दोनों पक्षों की मौजूदगी में विवादित आराजियात का मौका निरीक्षण कर कब्जे काश्त की जांच करें तथा न्यायालय एसडीओ सीकर के आदेश की परिपेक्ष्य में पुनः अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करें। तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय पारित किया गया है, पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। चूंकि नायब तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा विधिवत निर्णय पारित किया गया है, अन्यथा गलत निर्णय होने पर न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर नायब तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश पारित कर सकते थे जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। अतः श्री जगदीश प्रसाद चोधरी, तत्कालीन नायब तहसीलदार,

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

दांतारामगढ के विरूद्ध कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट आवेदन साबित नहीं होने से आवेदन कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 07.02.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.आर. बागड़िया)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

दांतारामगढ